

"राजस्व लोक अदालत अभियान-2015 "

पटवारी हल्का पटवार मंडल

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
गंगापुर सिटी ।

विषय :- जमाबंदी ग्राम महुकला संवत् 2069 के खाता संख्या- 4
में हिस्सा दर्ज करने बावत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम महुकला पटवार हल्का महुकला के खाता संख्या 4 संवत् 2069 की खातेदारी अरविन्द कुमार विजय कुमार पि० रामेश चन्द
व जीता देवी देवा रामेश चन्द लोम महाजन सा. गंगापुर के नाम दर्ज है। उक्त खाता में दर्ज प्रविष्टियों में खातेदारों के मध्य हिस्सा दर्ज नहीं है। अतः खाता संख्या 4 में खातेदारों के मध्य अरविन्द कुमार हि 1/3 विजय कुमार हि 1/3
पि० रामेश चन्द व जीता देवी देवा रामेश चन्द हि 1/3 लोम
महाजन सा. गंगापुर

हिस्सा दर्ज किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवामें पेश है।

कॉर
पटवारी हल्का,

जॉच भू अभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। जमाबंदी की प्रविष्टियों की जॉच की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार संवत् 2069 खाता संख्या 4 में खातेदारों के मध्य अरविन्द कुमार हि 1/3 विजय कुमार हि 1/3 पि० रामेश चन्द व जीता देवी
देवा रामेश चन्द हि 1/3 लोम महाजन सा. गंगापुर

अनुसार हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

ह
भू अभिलेख निरीक्षक,

कार्यालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी

कमांक-रा०लो०अदा०/15/

दिनांक- 10-7-15

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं जॉच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक सहखातेदारों के मध्य जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या- 69 में रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार
गंगापुर सिटी

जिला अदालत कैम्प महुकला

10-7-2015 - हल्का पटवारी ने ग्राम महुकला की जमाबंदी सं० 2069-
में खाता सं० 04 में दर्ज खातेदारों का हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया गया है।
I LR व तहसीलदार गंगपुर सिटी में भी उक्त खाते में दर्ज खातेदारों का
 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ हिस्सा दर्ज करने की सिफारिश की है। अतः तहसीलदार गंगा-
की सिफारिश के आधार पर ग्राम महुकला की जमाबंदी सं० 2069-72 में खा-
ता सं० 04 में दर्ज खातेदारों का $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जा-
यालना हेतु तहसीलदार गंगपुर सिटी को लिखा जावे।


उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी
कैम्प - महुकला

अवालत केम्प मडकला

10-7-2015 - हल्का परिवारी ने ग्राम मडकला की जमाबंदी सं० 2069-72 में खाता सं० 04 में दर्ज खातेदारों का हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया गया है।
I LR व तहसीलदार गंगपुर सिटी ने भी उक्त खाते में दर्ज खातेदारों का $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ हिस्सा दर्ज करने की सिफारिश की है। अतः तहसीलदार गंगपुर की सिफारिश के आधार पर ग्राम मडकला की जमाबंदी सं० 2069-72 में खाता सं० 04 में दर्ज खातेदारों का $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।
पालना हेतु तहसीलदार गंगपुर सिटी को लिखा जावे।


उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी
केम्प - मडकला

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प महुकलौ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महुकला भू.अ.नि. गंगापूर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम महुकलौ तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में खाता संख्या 04 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	महुकलौ	04	अरविन्द कुमार विजय कुमार पि. रमेशचंद व गीतादेवी बेबा रमेशचंद	अरविन्द कुमार पि. रमेशचंद हि. 1/3 विजय कुमार पि. रमेशचंद हि. 1/3 व गीतादेवी बेबा रमेशचंद हि. 1/3 (खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी)

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक:- 10 जुलाई 2015

क्रमांक:- 967-69

प्रतिलिपि:-

- 1.तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रक्षित पत्रावली।

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

15/7/15